

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 1973/आषाढ़ 11, 1895

No. 242]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 1973/ASADHA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June 1973

S.O. 367(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Manipur is hereby published :

ORDER No. 3

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), we hereby determine, on the basis of the latest census figures, having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, and taking into consideration the provisions contained in the Constitution (Thirty-first) Amendment Bill, 1973, as passed by Parliament, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Manipur as two of which one seat shall be reserved for the Scheduled Tribes and the total number

of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as sixty of which one seat shall be reserved for the Scheduled Castes and nineteen seats for the Scheduled Tribes.

J. L. Kapur, Chairman.
Tarun Kumar Basu, Member.
T. Swaminathan, Member.

[No. 289/73(2).]

By Order,

P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 1973

का० आ० 367 (अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन मणिपुर राज्य के बारे में दिया गया आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश संख्या 3

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तथा संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 तथा 332 के उपबन्धों की ध्यान में रखते हुए, तथा संसद् द्वारा यथापारित संविधान (द्वितीयां) संशोधन विधेयक, 1973 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर विचार करने हुए, हम मणिपुर राज्य को आवण्टित किए जाने के लिए लोक सभा में स्थानों की संख्या के रूप में दो स्थान जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त राज्य की विधान सभा के लिए समनुदेशित स्थानों की कुल संख्या के रूप में साठ स्थान, जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जाति तथा उन्नीस स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे, एतद्वारा अवधारित करते हैं।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष।

तरुन कुमार बसु, सदस्य।

टी० स्वामीनाथन, सदस्य।

[सं० 282 / 73 (2)]

पी० आर्डी० जेकरा, सचिव।